न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 131 / 2017

बउनवान

रूघनाथ उर्फ रघुनाथ आयु 50 वर्ष पुत्र रतनलाल धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा

(अपीलांट)

बनाम

1. मदनलाल आयु 55 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा
2. धापूबाई आयु 73 वर्ष पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.6.2016 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा इन्तकाल नंबर 1548 दि. 16.6.2016 वाके ग्राम कडैयानोहर

उपस्थित :– 1– श्री अभिनव गौत्तम एडवोकेट **(अपीलांट)**
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 19.12.2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 11 बीघा वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारॉ मे स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने 15–20 सालो से अलग–अलग बराबर बराबर हिस्से कर रखे थे ओर उसी प्रकार काश्त करते आ रहे थे। उक्त जमीन के उत्तर दिशा मे सडक है जिस पर अपीलांट का पूरा हिस्सा दे रखा था। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हिस्से से हटाकर उसके हिस्से की भूमि को मदनलाल के दर्ज कर दी और अपीलांट को दो टुकडो मे बटवारा कर दिया है। जबकि अपीलांट का हिस्सा उत्तर से पूरब दिशा मे पूरा एक साथ था।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 मे मन मे शुरू से ही बदयानति थी। जो अपीलांट की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे थे। जिसका वाद अपीलांट ने एस.डी.ओ. न्यायालय छबडा के यहॉ पर कर रखा था। जिस पर दिनांक 5.7.2016 को स्थगन मिला हुआ था। जिसकी आगामी तारीख 15.7.2016 दर्ज थी। केम्प अटरू मे अपीलांअ से यह कहकर विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिये कि जो अपीलांट का उत्तर पूरब का हिस्सा है वह अपीलांट का ही रहेगा। लेकिन जब नकल ली तो मालूम पडा कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को एक जगह दी तथा अपीलांट को दो जगह कर दी है। जबकि अपीलांट को एक तरफ से देना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा का आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई सूचना दिये बिना ही व बिना किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट को इस बात का ज्ञान

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा अपीलांट को उसकी जमीन को हॉकने नही देने पर दिनांक 23.11. 2017 को पटवारी के पास जाने पर हुआ। जिसका विभाजन पत्र की नकल का प्रार्थना पत्र अपीलांट ने उसी दिन पेश कर दिया। जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 1.12.2017 को मिली। विभाजन की नकल मिलने पर मालूम पडा कि जहॉ पर अपीलांट का कब्जा था ओर जिस जगह पर अपीलांट काश्त कर रहा था, उस जगह अपीलांट को एक तरफ से जमीन नही देकर दो टुकडो मे जमीन दे दी है। जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक तरफा जमीन ले ली है।

अपीलांट बिना बढा लिखा है केवल हस्ताक्षर करना जानता है नक्शा मे केम्प मे नही बनाया वहा तो केवल हस्ताक्षर करा लिये थे ओर कहा था कि एक तरफा जमीन दे दी है जो अपीलांट के कब्ज मे है, अपीलांट द्वारा विभाजन की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट को दो टुकडो मे जमीन दे रखी है। खाते का इस तरह विभाजन कर तहसील रिकार्ड मे आज तक भी दर्ज नही किया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.2016 को किया गया विभाजन पत्र को निरस्त फरमाया जाकर नक्शे को दुरूस्त कर अपीलांट को पूरी 03 बीघा 13 बिस्वा पूरा उत्तरी कोने मे दिये जाने का आदेश करने की कृपा करे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 6.12.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा जारी विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.6.2016 की पालना मे तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1548 दि. 16.6.2016 वाके ग्राम कडैयानोहर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट जिस भूमि पर वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है, वह भूमि उसे नही दी जाकर, गुमराह कर दो टुकडो मे भूमि दी गई है। अपीलांट अनपढ व्यक्ति है जो मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। इसी बात का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने फायदा उठाकर केम्प मे तो मात्र अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये गये ओर यह कहा गया कि जिस भूमि पर आप काश्त करते चले आ रहे हो वह भूमि आपको दी गई है। किन्तु नक्शा बाद मे बनवाया गया, जिसमे अपीलांट को उक्त भूमि नही दी जाकर अन्य भूमि दो टुकडो मे दी गई है। जो गलत दी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.6.2016 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.6.2016 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2016 मे जारी किया गया है। जिसमे आपसी सहमति से विभाजन किया गया है। जिस पर अपीलांट के भी हस्ताक्षर है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.6.2016 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2016 मे जारी किया गया है। जिसमे आपसी सहमति से विभाजन किया गया है। जिस पर अपीलांट एवं अन्य

के भी हस्ताक्षर है। उसी के अनुरूप नामान्तरकरण संख्या 1548 दिनांक 16.6.2016 वाके ग्राम कडैयानोहर खोला जाकर निर्णित किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना हम न्यायोचित नही समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उभयपक्ष सक्षम न्यायालय मे चाराजोही किये जाने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां